mgr(P.) 2
17/6/21

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
—:: मंत्रालय ::—
महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

छ.ग. राज्य भण्डार गृह निगम मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)
क्र. 13059
दि. 17/06/21

क्र. एफ 1—12/2016/29—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07 जून, 2021

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 राज्य भण्डार गृह निगम,
मुख्यालय, सेक्टर—24,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय :— छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के संशोधित सेवा भर्ती नियम के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम की सेवा भर्ती एवं पदोन्नती विनियम, 2021 के संबंध में दिनांक 07.06.2021 द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(अमिताभ जॉन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

M(P)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर,

:: अधिसूचना ::

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07 जून, 2021

एफ 1–12/2016/29–2 : भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का सं. 58) की धारा 42 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम (वर्ग–एक, दो, तीन एवं चार) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति विनियम, 2021 कहलायेंगे।

   (2) ये विनियम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें.**–इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

   (क) सेवा में सम्मिलित पदों के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है प्राधिकारी, जैसा कि अनुसूची–एक के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है;

   (ख) **"मंडल"** से अभिप्रेत है भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का सं. 58) की धारा 20 की उप–धारा (1) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम का संचालक मंडल;

   (ग) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है निगम के संचालक मण्डल का अध्यक्ष;

   (घ) **"निगम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम;

   (ड.) **"संविदा नियुक्ति"** से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय–समय पर विहित प्रकिया/नियमों के अनुसार विभागीय सेटअप में अनुमोदित विनिर्दिष्ट पद के विरूद्ध नियुक्ति प्रकिया;

(च) **"अनुबंधित सेवा (कलेक्टर दर)"** पर नियुक्ति से अभिप्रेत है व्यक्ति, जो अनुबंध के आधार पर 31 दिसम्बर 2006 के पूर्व से निगम में सेवा कर रहा हो तथा जिला कलेक्टर द्वारा समय--समय पर घोषित और संशोधित मजदूरी प्राप्त कर रहा हो;

(छ) **"विभागीय पदोन्नति समिति"** से अभिप्रेत है निगम के कर्मचारियों के विभागीय पदोन्नति के मामलों पर विचार करने हेतु मंडल, प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा गठित समिति;

(ज) **"कार्यकारिणी समिति"** से अभिप्रेत हैं भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का सं. 58) की धारा 12 के अधीन गठित समिति;

(झ) **"प्रबंध संचालक"** से अभिप्रेत है निगम का प्रबंध संचालक;

(ञ) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रं0 एफ 8--5--पच्चीस--4--84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन विनियमों में संलग्न अनुसूची;

(ठ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ड) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ढ) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजन के लिए, मंडल, प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा गठित समिति;

(न) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम (वर्ग--एक, दो, तीन एवं चार) सेवा;

(त) **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(थ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(द) **"चयन"** से अभिप्रेत है योग्यता--सह--वरिष्ठता या वरिष्ठता--सह--योग्यता के आधार पर चयन।

3. **विस्तार तथा लागू होना** .-- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निगम के सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे:

परन्तु यह विनियम इन पर लागू नही होंगे:--

(क) कोई कर्मचारी, जो निगम में प्रतिनियुक्ति पर है चाहे वह अखिल भारतीय सेवा, छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा या कोई अन्य संगठन से संबंध रखता हो।

(ख) कोई कर्मचारी, जिसे इसमें इसके पश्चात् मंडल द्वारा पारित विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अपवर्जित किया जा सकता हो ।

(ग) विशेष सेवा या सेवा की श्रेणी से संबंधित व्यक्ति पर, ये विनियम लागू होने के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामले को, निगम के संचालक मंडल को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

4. **सेवा का गठन** .– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:–

(क) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(ख) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(ग) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधो के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– (1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु यह कि शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

(2) शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर बनाये गये नियम/जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

(3) छत्तीसगढ़ शासन, समय–समय पर वेतनमान को पुनरीक्षित कर सकेगा तथा निगम के कर्मचारी, पुनरीक्षित वेतनमान आहरण करने के हकदार होंगे ।

(4) निगम के सभी कर्मचारी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/पुनरीक्षित आदेशों के अनुसार महगांई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता एवं अन्य भत्ते आहरण करने के हकदार होंगे।

(5) सभी कर्मचारी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार वेतन वृद्धि/समयमान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(6) संचालक मंडल को अतिरिक्त पद सृजित करने के लिये अनुशंसा करने की शक्ति होगी तथा इसे अनुमोदन के लिये शासन को भेजेगी ।

(7) संचालक मंडल को उपरोक्त के अलावा अन्य भत्ते स्वीकृत करने की शक्ति होगी ।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेंगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अथवा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा की अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये अथवा शासन के संविदा नियम के अनुसार अन्य संस्था के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी की संविदा नियुक्ति द्वारा।

स्पष्टीकरण– शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार तृतीय श्रेणी पदों एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए साक्षात्कार आवश्यक नहीं है।

(2) उप–विनियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती के किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे ज़ाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–विनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, मंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

(5) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के अधीन जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.–** सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से

अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (एक) (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ञ) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के आधार पर आयु में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी;

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव**– (क) अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें तथा अनुभव होना चाहिये, जैसा कि अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट है।

(ख) उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा सकेगी, जो संबंधित पद का कार्यानुभव रखते हों।

(तीन) **शुल्क**— अभ्यर्थी को, कार्पोरेशन/प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली निकाय (संस्था) द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **अनुबंध का निष्पादन.**— भर्ती किये गये व्यक्ति को कम से कम 2 वर्षों के लिए निगम की सेवा करने हेतु अनुबंध का निष्पादन करना होगा। उसे निगम में उसकी सेवा के दौरान किये गये अनुबंध में विहित शर्तों एवं निबंधन की पूर्ति करने पर अन्यत्र रोज़गार हेतु भारमुक्त कर दिया जायेगा।

10. **निरर्हता.**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

11. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन/साक्षात्कार के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

12. प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.– (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अन्तरालों में आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा, चयन समिति या किसी निकाय द्वारा आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा मंडल के परामर्श से, समय समय पर अवधारित करे।

(3) चयन समिति, अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, मंडल, प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित किया जायेगा।

(4) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उस मेरिट क्रम में किया जायेगा, जिसमें उनके नाम, प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार अथवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई सूची में आयें हों।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(6) महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पदों को, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम विनियम 14 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(10) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार होगा।

13. नियुक्ति प्राधिकारी.– सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

14. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, मेरिट क्रम में तैयार करेगी।

(2) इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में अभ्यर्थियों के नाम सम्मिलित किये जाने से ही उन्हें नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से अयोग्य पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति के लिये अनुशंसित किये जा सकेंगे।

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–विनियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

(6) आरक्षण एवं विचार का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधो तथा समय–समय पर विहित अनुसार राज्य शासन के लागू नियमों का आदेशों के अनुसार होगा।

16. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.– (1) उप–विनियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की

सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र, कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप–विनियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

(6) लेखा कैडर एवं सामान्य कैडर में कार्यरत कार्मिकों का तकनीकी कैडर में तथा तकनीकी कैडर में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति, लेखा एवं सामान्य कैडर में नहीं की जायेगी।

17. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त विनियम 16 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी।

(2) पद से पदोन्नति के लिये व्यक्तियों के चयन सूची तैयार करने के लिये मापदण्ड निम्नानुसार होगी:–

(एक) चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी (तृतीय श्रेणी के शैक्षणिक अर्हता को पूरा करने के अध्यधीन), तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी पर पदोन्नति वरिष्ठता–सह–उपयुक्ता के अनुसार किया जायेगा।

(दो) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान पर, पदोन्नति योग्यता–सह–वरिष्ठता के अनुसार किया जायेगा।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, निगम के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

स्पष्टीकरण— ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया है, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं किया जायेगा।

18. **चयन सूची.**— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची—चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) यह सूची, सामान्यतः इसके अनुमोदन की तारीख से उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी। चयन सूची की वैधता, इसके अनुमोदन की तिथि से कुल 12 माह के अवधि के बाद नही बढ़ाई जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, मंडल के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति, उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे सदस्यों का नाम हटा सकेगी।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा—संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**— (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने के योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **अधिवार्षिकी.**– निगम के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु, समय–समय पर विहित अनुसार, राज्य शासन के नियमों या आदेशों के अनुसार होंगे।

22. **निर्वचन.**– यदि इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे मंडल को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

23. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन विनियमों के तत्स्थानी और इन विनियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त विनियम, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित विनियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

(2) इन विनियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. **छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का क्रियान्वयन एवं नियुक्ति की शर्तें**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के साथ ही साथ नियुक्ति के आदेशों में परिगणित नियुक्ति की शर्तें एवं निबंधन, समस्त कर्मचारियों, जो मंडल द्वारा यथा विहित अपवादों के साथ निगम की सेवा में हो, पर लागू होंगे।

25. **अपील.**– निगम की सेवा में कोई व्यक्ति, जिसमें ऐसा सदस्य भी सम्मिलित है जिसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, जो इन विनियमों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसे आदेश की प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर मंडल को अपील कर सकेगा तथा मंडल का निर्णय अंतिम होगा। मंडल के आदेश के विरूद्ध अन्य कोई पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण या अपील नहीं होगी।

26. **अन्य.**— ऐसे मामलों में, जहां उपरोक्त नियम स्पष्ट ना हो अथवा मौन हो, वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथा प्रख्यापित राज्य शासन के आदर्श भर्ती नियमों को लागू किया जायेगा।

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
खा.आ. एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अनुसूची–एक
(विनियम 5 देखिये)
पद, वेतनमान, ग्रेड वेतन एवं पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	पे मेट्रिक्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्रबंध संचालक	01	–	प्रथम श्रेणी (भारतीय प्रशासनिक सेवा)	
2.	सचिव एवं महाप्रबंधक	01	संचालक मण्डल	प्रथम श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 15
3.	प्रबंधक (वैज्ञानिक भण्डारण एवं गुणवता नियंत्रण)	01	संचालक मण्डल	प्रथम श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 13
4.	प्रबंधक (वाणिज्य)	01	संचालक मण्डल	प्रथम श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 13
5.	प्रबंधक (कार्मिक)	01	संचालक मण्डल	प्रथम श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 13
6.	प्रबंधक (लेखा)	01	संचालक मण्डल	प्रथम श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 13
7.	कार्यपालन अभियंता	01	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 12
8.	उप प्रबंधक (तकनीकी)	06	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 12
9.	उप प्रबंधक (सामान्य / संपरीक्षा / लेखा)	02	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 12
10.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 12
11.	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	04	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 10
12	सहायक अभियंता	04	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 9
13.	निज सचिव	01	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 9
14.	सहायक प्रबंधक	14	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 9

	(तकनीकी)				
15.	सहायक प्रबंधक (सामान्य / संपरीक्षा / लेखा)	02	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 9
16.	सहायक प्रोग्रामर	01	कार्यकारिणी समिति	द्वितीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 9
17.	उप अभियंता	09	प्रबंध संचालक	तृतीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 8
18.	निज सहायक	02	प्रबंध संचालक	तृतीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 8
19.	तकनीकी सहायक	146	प्रबंध संचालक	तृतीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 7
20.	सहायक / लेखापाल	49	प्रबंध संचालक	तृतीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 6
21.	कनिष्ठ सहायक	97	प्रबंध संचालक	तृतीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 4
22.	वाहन चालक	06	प्रबंध संचालक	तृतीय श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 4
23.	चपरासी / चौकीदार सह सहायक	370	प्रबंध संचालक	चतुर्थ श्रेणी	पे मेट्रिक्स लेवल– 1
	योग	**721**			

अनुसूची–दो

(विनियम 6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (विनियम 6(1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (विनियम 6(1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा (विनियम 6(1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	छत्तीसगढ़ राज्य भाण्डागारण निगम					
1.	प्रबंध संचालक	01	–	–	100%	राज्य शासन द्वारा नामांकित
2.	सचिव एवं महाप्रबंधक	01	–	–	–	राज्य शासन से प्रतिनियुक्ति पर
3.	प्रबंधक (वैज्ञानिक भण्डारण एवं गुणवता नियंत्रण)	01	–	100%	–	पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
4.	प्रबंधक (वाणिज्य)	01	–	100%	–	पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
5.	प्रबंधक (कार्मिक)	01	–	100%	–	पदोन्नति हेतु

						अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
6.	प्रबंधक (लेखा)	01	–	100%	–	पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
7.	कार्यपालन अभियंता	01	–	100%	–	पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
8.	उप प्रबंधक (तकनीकी)	06	–	100%	–	पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
9.	उप प्रबंधक (सामान्य / संपरीक्षा / लेखा)	02	–	100%	–	पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के मामले में प्रतिनियुक्ति पर
10.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100%	–	–	–
11.	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	04	–	100%	–	–
12	सहायक अभियंता	04	–	100%	–	–
13.	निज सचिव	01	–	100%	–	–
14.	सहायक प्रबंधक	14	–	100%	–	–

	(तकनीकी)					
15.	सहायक प्रबंधक (सामान्य / संपरीक्षा / लेखा)	02	–	100%	–	–
16.	सहायक प्रोग्रामर	01	100%	–	–	सीधी भर्ती
17.	उप अभियंता	09	100%	–	–	सीधी भर्ती
18.	निज सहायक	02	100%	–	–	सीधी भर्ती
19.	तकनीकी सहायक	146	100%	–	–	सीधी भर्ती
20क	सहायक	49	–	100%	–	–
20ख	लेखापाल		100%	–	–	सीधी भर्ती
21.	कनिष्ठ सहायक	97	75%	25%	–	–
22.	वाहन चालक	06	100%	–	–	सीधी भर्ती
23.	चपरासी / चौकीदार सह सहायक	370	100%	–	–	सीधी भर्ती

अनुसूची–तीन

(विनियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती के लिए अर्हता

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	प्रथम श्रेणी में बी.ई. /बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस)/एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस)/एमसीए में डिग्री के साथ केन्द्र/राज्य शासन के विभाग या उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भण्डारण में संलग्न सार्वजनिक उपक्रम में साफ्टवेयर डेवलपमेंट में पांच वर्ष का अनुभव।	
2.	सहायक प्रोग्रामर	18 वर्ष	30 वर्ष	प्रथम श्रेणी में बी.ई. /बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस)/एम.एससी. (कम्प्यूटर साइंस)/एमसीए में डिग्री के साथ केन्द्र/राज्य शासन के विभाग या उनके खाद्यान्न के वैज्ञानिक भण्डारण में संलग्न सार्वजनिक उपक्रम में साफ्टवेयर डेवलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव।	
3..	उप अभियंता	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई. (सिविल) या	

				केन्द्र / राज्य शासन या उनके भवन के कार्य तथा मार्ग निर्माण में संलग्न सार्वजनिक उपक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव।	
4.	निज सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (किसी भी विषय में) स्नातक डिग्री। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद् से:– (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) हेतु– हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) हेतु– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा	

				शीघ्रलेखन (शार्टहैंड)में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी। (ग) द्वि–भाषी शीघ्रलेखक हेतु– उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में प्रमाणपत्र पाठयक्रम उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 कीय डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
5.	तकनीकी सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	

				से बी.एससी. (कृषि) में डिग्री अथवा जन्तु विज्ञान/ रसायन शास्त्र/एन्टोमोलॉजी में से किसी एक विषय के साथ बी.एससी.।	
6.	लेखापाल	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. काम. में डिग्री के साथ एक वर्षीय पी.जी.डी.सी.ए. डिप्लोमा तथा एकाउटिंग साफ्टवेयर में एक वर्ष का अनुभव।	
7.	कनिष्ठ सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम वर्ष स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 कीय डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)	
8.	वाहन चालक	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से मिडिल स्कूल कक्षा आठवीं	

				परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) वाहन चालन के लिये लायसेंस (एलएमव्ही) तथा वाहन में साधारण सुधार करने का ज्ञान होना चाहिये। (3) किसी शासकीय /अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में वाहन चालन का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।	
9.	चपरासी/चौकीदार –सह–सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से मिडिल स्कूल कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हैं। हिन्दी/छत्तीसगढ़ी का ज्ञान आवश्यक है।	

टीपः– ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(विनियम 16 देखिये)

पदोन्नति हेतु अनुभव

स. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	न्यूनतम अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के गठन के लिए प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप प्रबंधक (तकनीकी)	प्रबंधक (वैज्ञानिक भण्डारण एवं गुणवता नियंत्रण / वाणिज्यिक)	10 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
2.	उप प्रबंधक (सामान्य)	प्रबंधक (कार्मिक)	10 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
3.	उप प्रबंधक (लेखा / संपरीक्षा)	प्रबंधक (लेखा)	10 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
4.	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता	8 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
5.	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	उप प्रबंधक (तकनीकी)	5 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
6.	सहायक प्रबंधक (सामान्य)	उप प्रबंधक (सामान्य)	10 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
7.	सहायक प्रबंधक (लेखा / संपरीक्षा)	उप प्रबंधक (लेखा / संपरीक्षा)	10 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
8.	सहायक प्रोग्रामर	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
9.	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	5 वर्ष	कार्यकारिणी समिति
10.	उप अभियंता	सहायक अभियंता	8 वर्ष	प्रबंध संचालक
11.	निज सहायक	निज सचिव	8 वर्ष	प्रबंध संचालक
12.	तकनीकी सहायक	सहायक प्रबंधक (तकनीकी)	8 वर्ष	प्रबंध संचालक
13.	सहायक	सहायक प्रबंधक (सामान्य)	8 वर्ष	प्रबंध संचालक
14.	लेखापाल	सहायक प्रबंधक (लेखा / संपरीक्षा)	8 वर्ष	प्रबंध संचालक
15.	कनिष्ठ सहायक	सहायक	5 वर्ष	प्रबंध संचालक
16.	चपरासी / चौकीदार –सह–सहायक	कनिष्ठ सहायक	8 वर्ष (हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र (10+2) या पुरानी हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होना चाहिये। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय	प्रबंध संचालक

			डिप्लोमा / प्रमाणपत्र। हिन्दी टायपिंग में 5,000 कीय डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के लिये पृथक से कौशल परीक्षा ली जायेगी)	

नवा रायपुर दिनॉक जून, 2021

क्र. एफ 1–12 / 2016 / 29–2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनॉक 07 जून, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।